

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठारसीन अधिकारी:- श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 145/2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पिन्दुराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी धांगड़वास तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. खींवराज पुत्र चौथाराम 2. पूजा पुत्री चौथाराम 3. शान्ति पत्नी चौथाराम 4. शोभादेवी पुत्री चौथाराम 5. सुगनादेवी पुत्री चौथाराम जातिगण मेगवंशी निवासीगण राजोला कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0। 6. दुर्गाराम उर्फ भंवरलाल पुत्र कुनाराम 7. बाबुलाल पुत्र कुनाराम जातिगण मेगवंशी निवासीगण राजोला कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0। 8. किशोरराम पुत्र पोलाराम जाति सरगरा निवासी राजोला कलां तहसील सोजत जिला पाली राज0। 9. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

1. श्री मुकेश भाटी, श्री प्रवीण प्रजापत अधिवक्तागण वादी उपस्थित।
2. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 01 से 04 उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक - 09/08/25

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा राजोला कलां, प0ह0 राजोला कलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 455 रकबा 0.8200 है0 किस्म बा0दो0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। दिनांक 13.11.2024 को अधिवक्ता उभय पक्षों द्वारा उपस्थित होकर सहमति द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया। जिस पर दिनांक 13.11.2024 को प्रकरण में वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/रीडर/2025/552 दिनांक 15.04.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन

उपखण्ड अधिकारी

किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 28.02.2025 अनुसार वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 28.02.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा राजोला कलां, प0ह0 राजोला कलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र चौपडा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 455 रकबा 0.8200 है0 किस्म बा0दो0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाडा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

01 ग्राम राजोला कलां में स्थित कृषि भूमि का विभाजन:-

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म
1.	पिन्दुराम पुत्र पेमराम मेगवाल	455 B	0.1640	बा0दो0
2.	खींवराज हि0 1/5, पूजा हि0 1/5, शान्ति हि0 1/5, शोभा हि0 1/5 पि0 चौथाराम सुगणादेवी पत्नि चौथाराम हि0 1/5 जाति मेगवंशी	455 C	0.2460	बा0दो0
3.	किशोरराम पुत्र पोलाराम सरगरा हि0 37/82 जाति सरगरा दुर्गाराम उर्फ भंवरलाल पि0 कुनाराम हि0 45/164, बाबुलाल पुत्र कुनाराम हि0 45/164 जाति मेगवंशी खातेदार	455 A	0.4100	बा0दो0

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये रथाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाव्वा दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो



(मासिंगा राम)
सहायक कलेक्टर, सोजत
राजोला (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 09/06/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलेक्टर, सोजत
राजोला (राज.)

डिक्री बमुकदमें इब्दादाई

(ओ020 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पिन्दुराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी धांगड़वास तह0 सोजत जिला पाली राज0।	1. खींवराज पुत्र चौथाराम 2. पूजा पुत्री चौथाराम 3. शान्ति पत्नी चौथाराम 4. शोभादेवी पुत्री चौथाराम 5. सुगनादेवी पुत्री चौथाराम जातिगण मेगवंशी निवासीगण राजोला कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0। 6. दुर्गाराम उर्फ भंवरलाल पुत्र कुनाराम 7. बाबुलाल पुत्र कुनाराम जातिगण मेगवंशी निवासीगण राजोला कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0। 8. किशोरराम पुत्र पोलाराम जाति सरगरा निवासी राजोला कलां तहसील सोजत जिला पाली राज0। 9. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0	



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :- 145/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री श्री मुकेश भाटी, श्री प्रवीण प्रजापत अधिवक्तागण वादी तथा श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 से 04 पेश होकर हुकम दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि कि सरहद मौजा राजोला कलां, प0ह0 राजोला कलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 455 रकबा 0.8200 है0 किस्म बा0दो0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

01 ग्राम राजोला कलां में स्थित कृषि भूमि का विभाजन:-

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म
1.	पिन्दुराम पुत्र पेमाराम मेगवाल	455 B	0.1640	बा0दो0
2.	खींवराज हि0 1/5, पूजा हि0 1/5, शान्ति हि0 1/5, शोभा हि0 1/5 पि0 चौथाराम सुगनादेवी पत्नि चौथाराम हि0 1/5 जाति मेगवंशी	455 C	0.2460	बा0दो0


3.	किशोरराम पुत्र पोलाराम सरगरा हि० 37/82 जाति सरगरा दुर्गाराम उर्फ भंवरलाल पि० कुनाराम हि० 45/164, बाबुलाल पुत्र कुनाराम हि० 45/164 जाति मेगवंशी खातेदार	455 A	0.4100	वा०दो०
----	--	-------	--------	--------

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहशीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान - मुबलिंग - बाबत ---

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09/06/25 को जारी



(मासिंगा राम)
उपरखण्ड अधिकारी
सहायक क्लर्क, सोजत
सोजत (राज.)

	रुपया	न.पै.	मुद्दायला	रुपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफरिंक	शून्य	शून्य
मुतफरिंक	शून्य	शून्य			
मददई	रुपया	न.पै.	मुद्दायला	रुपया	न.पै.